प्रकरण संख्या 81/2016 लालुडी बनाम बद्रीलाल

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.04. 2019	वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 30–05–2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आगामी पेशी दिनांक 09–06–2016 को वादिया का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादिया द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 12–08–2016 को यह अपील प्रस्तुत की गयी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री संजय बोहरा उपस्थित तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। प्रकरण में हम यह पाते हैं कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उभयपक्षों को बिना विधिवत सुनवाई का अवसर दिये तथा बिना पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा हुए प्रकरण को लोक अदालत में रखकर मात्र एक पेशी में ही निर्णय पारित कर दिया, जो प्राकृतिक एवं विधिक न्याय के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2016 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर उनसे साक्ष्य सबूत प्राप्त कर विधिक निर्णय पारित करें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (प्रियंका जोधावत)	

प्रकरण संख्या 81/2016 लालुडी बनाम बद्रीलाल

	भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

<u>प्रकरण संख्या 81/2016 लालुडी बनाम बद्रीलाल</u>